



## बैठक कार्यवृत्त (मिनट्स ऑफ मीटिंग)

बैठक दिनांक – 11.09.2025 (12:00 बजे)

स्थान: कॉन्फ्रेंस रूम, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा।

सन्दर्भ- क्षेत्रीय कार्यालय, भीलवाडा द्वारा प्रोसेस हाउसों से जनित Hazardous Waste के प्रबंधन हेतु “वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल” ([www.rspccbbhilwara.in](http://www.rspccbbhilwara.in)) डेवेलप किया जा रहा है। इसके संचालन एवं उपयोग से संबंधित कार्यशालाबैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार में संचालित टेक्सटाइल प्रोसेस हाउस इकाइयों से प्रतिनिधि के रूप में मुख्य अभियंता, सीमेंट प्लांट तथा प्री-प्रोसेसिंग प्लांट के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक का अध्यक्षता क्षेत्रीय अधिकारी श्री दीपक धनेटवाल द्वारा किया गयी। उन्होंने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया कि “Waste Management Portal” दिनांक 16.09.2025 को लाँच किया जाएगा। साथ ही अवगत कराया कि पोर्टल सभी Waste Generators से लेकर Waste Disposal तक के संपूर्ण Data Management में अत्यंत उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होगा।

इसके पश्चात अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी श्री महेश कुमार सिंह द्वारा पोर्टल की कार्यप्रणाली का Live Demo प्रस्तुत किया, जिसमें पोर्टल की Functioning, Data Entry Process, Manifest Upload, Vigilance Reporting एवं Grievance Redressal System के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

### बैठक के दौरान निम्नलिखित निर्देश एवं बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया-

- सभी प्रोसेस हाउस प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि, वे अपने ETP Sludge एवं MEE Salt से संबंधित विवरण पोर्टल पर सही-सही भरें। यह भी स्पष्ट किया गया कि पोर्टल पर डाटा भरने के पश्चात केवल 36 घंटे तक ही एडिट करने की सुविधा उपलब्ध होगी, इसके बाद संशोधन संभव नहीं होगा। साथ ही इकाई प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि, यदि कोई इकाई समय पर पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं करती है तो तुरंत प्रभाव से सम्बंधित इकाई को इस बाबत पत्र जारी किया जायेगा, एवं यदि किसी इकाई को पोर्टल से सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो इस कार्यालय को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया।





2. सभी इकाइयों को निर्देशित किया गया कि, वे Sludge एवं Salt के Manifest पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें तथा जिस भी वेंडर को Sludge/Salt भेजा जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें।
3. प्रोसेस हाउस प्रतिनिधियों को ETP स्लज को इकट्ठा करने के लिए बनाये गये पक्की सतह पर स्लज सुखाने एवं जरूरत अनुसार, यदि स्लज सुखाने का क्षेत्र बढ़ाना हो तो उस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही सभी इकाइयों को ETP Sludge Dryer स्थापित करने हेतु भी निर्देशित किया गया, ताकि Sludge का Moisture Content निर्धारित मानकों से अधिक न हो तथा प्रोसेस इकाइयों को निर्देशित किया गया कि स्लज में Ash Content भी निर्धारित मानकों से अधिक न हो।
4. बैठक में उपस्थित विभिन्न सीमेंट संयंत्रों /Pre-processing संयंत्रों के प्रतिनिधियों को भी निर्देशित किया गया कि, वे जिन प्रोसेस हाउसों से Sludge प्राप्त कर रहे हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें। यह भी निर्देशित किया गया कि यदि किसी इकाई से प्राप्त Sludge का Moisture Content एवं Ash Content निर्धारित मानकों से अधिक पाया जाता है, तो उसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जाए।
5. इसी क्रम में ईटीपी स्लज को सीमेंट प्लांट तथा प्री-प्रोसेसिंग प्लांट द्वारा स्वीकार करते समय स्लज में नमी की मात्रा (Moisture Content) या MEE साल्ट मिश्रित स्लज या तथा Ash Content आदि से सम्बन्धित या अन्य परेशानियों के बारे सीमेंट प्लांट तथा प्री-प्रोसेसिंग उद्योगों से आये प्रतिनिधियों से चर्चा की तथा स्लज के अंदर नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए उस हेतु common standard निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया।
6. M/s Rajasthan Waste Management Project (Ramky), Udaipur (Salt Disposal Facility) को निर्देशित किया गया कि इकाइयों से Salt उठाने के पश्चात उसके मेनिफेस्ट सहित सम्बन्धित इकाई की संपूर्ण जानकारी पोर्टल पर अपलोड करें।
7. प्रोसेस हाउस प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि M/s Ramkey द्वारा बरसात के समय Salt का समय पर संग्रहण नहीं किया जाता, जिससे कठिनाई उत्पन्न होती है। इस पर M/s Ramkey ने बताया कि वर्षा क्रृतु में लैंडफिलिंग में समस्या आती है। इस विषय पर क्षेत्रीय अधिकारी ने सुझाव दिया कि M/s Ramkey को भीलवाड़ा में किसी उपयुक्त स्थान पर अतिरिक्त Disposal Facility स्थापित करने पर विचार करना चाहिए, जिससे इकाइयों का ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम हो तथा Salt का समय पर निस्तारण सुनिश्चित हो सके।



8. प्रोसेस हाउस प्रतिनिधियों ने Sludge एवं Salt के संग्रहण दरों (Collection Rates) में अचानक वृद्धि पर समस्या के बारे में अवगत कराया, इसके क्रम में सीमेंट संयंत्र प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि प्रोसेस हाउस से प्राप्त स्लज में Moisture content तथा Ash Content मानको से अधिक होता है, जिसके Moisture content तथा Ash Content को कम करने के लिए ड्राइंग एवं प्री-प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है जिनके कारण दरों में वृद्धि की गई है। तथा M/s Ramkey ने कहा कि Salt संग्रहण दरों में वृद्धि उच्च स्तर पर तय की जाती है और इस विषय पर वह उच्च स्तर पर चर्चा कर जो भी निर्णय होगा उस बारे में इस कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा।

#### बैठक के दौरान लिए गये निर्णयों का विवरण :-

1. सभी प्रोसेस हाउस पोर्टल पर ETP Sludge एवं MEE Salt का डेटा सही-सही दर्ज करें। समय पर डेटा अपलोड न करने वाली इकाइयों को इस बाबत पत्र जारी किया जारी किया जाएगा।
2. सभी इकाइयों को Sludge एवं Salt का Manifest पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए तथा जिस Vendor को Sludge/Salt भेजा जा रहा है, उसकी संपूर्ण जानकारी पोर्टल पर दर्ज करे।
3. सभी प्रोसेस हाउस Sludge को पक्की सतह पर सुखाने की व्यवस्था की जाए एवं आवश्यकता पड़ने पर Sludge Drying Area को बढ़ाया जाये। सभी इकाइयों को स्लज के moisture content को कम करने स्लज ड्रायर स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया।
4. सीमेंट प्लांट्स के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गये कि जिन प्रोसेस हाउसों से Sludge लिया जा रहा है, उनकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाए। यदि Sludge में MEE salt का मिश्रण, Moisture Content तथा Ash Content मानक से अधिक पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जाए, ताकि दोषी इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जा सके तथा Sludge में Moisture Content एवं Ash Content के लिए Common Standard निर्धारित करने हेतु निर्देश दिए गए।
5. M/s Ramkey को निर्देश दिए गये Salt उठाने के बाद उसका Manifest सहित सम्बंधित इकाई का संपूर्ण विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
6. प्रोसेस हाउस के प्रतिनिधियों द्वारा MEE salt तथा ETP sludge को निस्तारण हेतु M/s Ramkey तथा सीमेंट प्लांट्स द्वारा ली जा रही राशि अचानक बढ़ोतरी के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, भीलवाडा द्वारा मंडल मुख्यालय स्तर पर इस विषय को प्रस्तुत करने तथा अध्यक्ष/



क्षेत्रीय कार्यालय  
REGIONAL OFFICE  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा  
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA  
Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com  
www.environment.rajasthan.gov.in



सदस्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सभी सम्बंधित इकाइयों की बैठक के आयोजन हेतु सदस्य सचिव महोदय के समक्ष प्रस्ताव रखने का आश्वासन दिया ।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।

भवदीय,

(दीपक धनेटवाल)  
क्षेत्रीय अधिकारी

राप्रनिम/ क्षेका भील/ सामा.-109/

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजि सचिव, श्रीमान अध्यक्ष महोदय, रा. प्र. नि. म., मुख्यालय जयपुर ।
2. श्रीमान सदस्य सचिव, रा. प्र. नि. म., मुख्यालय जयपुर, से निवेदन है कि, MEE salt तथा ETP sludge को निस्तारण हेतु M/s Ramkey तथा सीमेंट प्लांट्स द्वारा ली जा रही राशि अचानक बढ़ोतरी के संबंध में अध्यक्ष महोदय या आप श्रीमान की अध्यक्षता में सभी सम्बंधित इकाइयों की बैठक के आयोजन कराने का श्रम करावे, जिससे प्रोसेस हाउस द्वारा MEE salt तथा ETP sludge को निस्तारण में आ रही समस्या का निवारण किया जा सके ।
3. प्रभारी अधिकारी (टेक्सटाइल), रा. प्र. नि. म., मुख्यालय जयपुर ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. म., चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. म., राजसमन्दा।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. म., किशनगढ़ ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त प्रोसेस हाउस, भीलवाडा ।
2. समस्त सीमेंट प्लांट, जिला- चित्तौड़गढ़/राजसमन्द/व्यावर ।
3. M/s Rajasthan Waste Management Project (Ramkey), ग्राम गुड़ी, तहसील-मावली, उदयपुर ।

क्षेत्रीय अधिकारी

18-19.पन्नाधाय सर्किल. आजादनगर. भीलवाडा  
18-19, Near Pannadhaya Circle, Azad Nagar Bhilwara

RajKai Ref No :  
18024208

eSign 1.0